

कार्यालय – जिला पंचायत, खीरी

पत्रांक

/सम्पत्ति लि0/जि0पं0/2020-21

दिनांक 26 दिसम्बर, 2020

दुकान प्रीमियम नीलाम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, खीरी के स्वामित्वाधीन गोला गोकर्णनाथ में मिल रोड पर नव निर्मित दुकानों में प्रथम तल की 23 दुकानों को मासिक किराये पर दिये जाने हेतु प्रीमियम नीलाम की कार्यवाही की जानी हैं। जिसके लिए प्रीमियम की बोली जिला पंचायत सभागार में निम्न कार्यक्रम के अधीन सम्पन्न होगी।

क्रम सं०	दुकानों का विवरण	निर्धारित प्रार्थना पत्र प्राप्त करने हेतु अन्तिम तिथि	निर्धारित प्रार्थना पत्र जमानत रसीद सहित जमा करने की अन्तिम तिथि	नीलाम की तिथि एवं समय
1	गोला गोकर्णनाथ में मिल रोड पर जिला पंचायत की भूमि पर नव निर्मित प्रथम तल की 23 दुकानें	दिनांक 05.01.2021 जिला पंचायत, खीरी के कार्यालय से	06.01.2021 को सायं 5.00 बजे तक	दिनांक 07.01.2021 को पूर्वाह्न 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
2	खीरीटाउन में जिला पंचायत इण्टर कालेज के निकट नव निर्मित अवशेष दुकान सं० 02 व 03	उक्तानुसार	उक्तानुसार	उक्तानुसार
3	अवशेष दुकानों की नीलामी हेतु	दिनांक 08.01.2021 जिला पंचायत, खीरी के कार्यालय से	011.01.2021 को सायं 5.00 बजे तक	दिनांक 12.01.2021 को पूर्वाह्न 12.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

उपरोक्त प्रत्येक दुकान के लिए जमानत धनराशि रू० 50,000-00 (रू० पचास हजार मात्र) प्रकाशन होने की तिथि से उपरोक्तानुसार जिला पंचायत कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है प्रत्येक दुकान के लिए जमानत धनराशि की पृथक-पृथक रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण प्रीमियम बोली की धनराशि बोली समाप्त होने के पश्चात तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। अन्य समस्त जानकारी व शर्तें आदि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नीलाम अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।

कार्यालय जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।

पत्रांक 462(5) / सं०लि० / जि०पं० / 2020-21

उक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत लखीमपुर-खीरी।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर-खीरी।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
- 4- सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
- 5- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
- 6- अभियन्ता / वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, खीरी को नीलाम सम्पन्न कराने हेतु।

नीलाम अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी।